न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी, मनोज कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 60/2014 **दायर दिनांक 22.04.2019**

अनवान

1. कृष्णलाल
2. बनवारीलाल } पिसरान रामजस अकवाम बिश्नोई निवासीयान प्रेमपुरा ढाणी तहसील
3. रामकुमार } सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. शिवलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एसजीआर बी तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (मृतक)
   1/1 अनकौरी पत्नी शिवलाल
   1/2 नाथी देवी उर्फ लिछमा पुत्री शिवलाल
   1/3 बिरखा देवी पुत्री शिवलाल
   1/4 लालचन्द पुत्र शिवलाल
   1/5 रोशनी पुत्री शिवलाल
   1/6 विष्णू उर्फ राकेश कुमार पुत्र शिवलाल
2. तहसीलदार सूरतगढ।
3. उपपंजीयक सूरतगढ

— अप्रार्थीगण

वाद पत्र अन्तग्रत धारा 92 ए, 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

(1) श्री भागीरथ बिश्नोई एडवोकेट } वादीगण
(2) श्री विनोद बिश्नोई एडवोकेट }
(3) श्री प्रमेन्द्र सिह भाटी एडवोकेट प्रतिवादी सं. 1/1 सें 1/6

निर्णय दिनांक 25/02/2020

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 92 ए, 188, 207, 209 के तहत वादीगण द्वारा दावा दायर कर अनुतोष चाहा है कि तहसील सूरतगढ के चक 7 एसजीआर "ए" खाता सं. 81 पुराना 71 जमाबन्दी सम्वत 2070 ता 73 के प0न0 7/309 मु0न0 39 के कि0न0 6 ता 25 = 5.060 है0 नहरी मय रास्ता मे से 0.0844 है0 भूमि मुताबिक राजस्व रिकार्ड शिवलाल (प्रतिवादी सं. 1/1 ता 1/6 का पिता) के नाम दर्ज है। जमाबन्दी संलग्न है। पूर्व मे शिवलाल के नाम कुल 1.350 है0 भूमि थी। दिनांक 17.04.2004 को शिवलाल ने अपनी 1.350 है0 भूमि मे सें 0.588 है0 अर्थात 2 बीघा 6½ बिस्वा वादीगण को बहिब जरिये इकरारनामा राशि 2,35,000/– रुपये मे बेचान कर दी व नगद राशि लेकर कब्जा वादीगण को सौपं दिया। इकरारनामा की चित्रप्रति संलग्न है। इकरारनामा की पालना मे दिनांक 19.04.2004 को शिवलाल द्वारा 2–00 बीघा भूमि का बेयनामा उप–पंजीयक कार्यालय सूरतगढ में तस्दीक करवा दिया व शेष 6½ बिस्वा भूमि का बैयनामा बाद में करवाने का आश्वासन दिया। वादीगण की मुख्य दलील है कि मुताबिक इकरारनामा उनका वादाधीन 6½ बिस्वा भूमि पर कब्जा है परन्तु शिवलाल ने अपने जीवनकाल में बैयनामा नहीं करवाया है ना ही उसके वारिसान ने इकरारनामा की पालना की है। चुंकि वे अन्य व्यक्ति को उक्त भूमि को बैय का अनुबन्ध कर चुके है व हमे बेदखल करने पर उतारु है, इसलिये शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त को सुरक्षित रखने व प्रतिवादीगण की जबरन दंखलदांजी रोकने के लिये यह दावा किया हे। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया।

प्रतिवादीगण सं. 1/1 तो 1/6 की तरफ सें योग्य अभिभाषक श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी उपस्थित हुये व दिनांक 18.11.2015 को जबाब दावा प्रस्तुत कर दावा का खण्डन किया। दिनांक 10.03.2016 को विवादक कायम कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य नीयत की गई है। वादीगण के साक्ष्य मे वादी रामकुमार

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ

क्रमशः

व कृष्णलाल के बयान दर्ज हुये। दस्तावेजी साक्ष्य मे इकरारनामा की चित्रप्रति बैयनामा की कापी व न्यायालय अपर जिला एंव सैशन न्यायाद्यीश (फास्ट ट्रैक) अनूपगढ मुख्यालस सूरतगढ सिविल वाद 18/2009 निर्णय दिनांक 21.09.2011 की प्रति प्रस्तुत की व प्रतिवादीगण के साक्ष्य भी दिनांक 13.08.2019 को बन्द किये गये।

बहस उभयपक्ष समायत की गई। बिन्दूवार तनकी विवादक इस प्रकार निर्णय किये गये :—

(1) आया कि सन 2004 में प्रतिवादी सं. 1 स्व0 शिवलाल के नाम से चक 7 एसजीआर प0न0 7/309 में 1.350 है0 रकबा बतौर खातेदारी दर्ज था। ——वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर है। वादीगण के द्वारा सन् 2004 में शिवलाल के नाम की भूमि होने का कोई भी रिकार्ड दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। दावा के साथ संलग्न जमाबन्दी की गई, वह सम्वत 2070 सें 73 की है न कि सन 2004 की। सन् 2004 में सम्वत 2060 था। वादीगण इस विवाधक को सिद्ध करने में असफल रहे। अतः इस तनकी का निर्णय वादीगण के विरुद्ध किया जाता है।

(2) तनकी सं. 2, आया प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि मे सें 0.588 है0 भूमि वादीगण को बेचान का इकरारनामा करके भूमि का कब्जा वादीगण को दिया गया था। —— वादीगण

इस विवादक को सिद्ध करने का भार वादीगण पर रखा गया। वादीगण ने वाद पत्र इकरारनामा के आधार पर कब्जा होना अंकित किया है। गवाहो ने भी कब्जा होना स्वीकार किया हैं। प्रतिवादीगण द्वारा जबाब दावा मे अपना कब्जा वादाधीन भूति 6½ बिस्वा पर होना अंकित किया है। दोनो पक्ष अपना कब्जा होना जाहिर करते है। अदालत के मुताबिक विवादक यह देखना है कि क्या वादग्रस्त भूमि का बेचान का इकरारनामा करके भूमि का कब्जा वादीगण को दिया गया था। इसके लिये इकरारनामा का गहनता सें अध्ययन किया। इकरानामा में भूमि विक्रय करने व राशि 2,35,000/— रुपये लेने का करार होना साबित है, परन्तु इकरारनामा मे कब्जा देना कहीं भी अंकित नहीं है। वादीगण इकरानामा की पालना मे कब्जा लेना साबित है करने में विफल रहे। संलग्न बैयनामा दिंनाक 19.04.2004 में भी 0.506 है0 अर्थात 2—00 बीघा भूमि बेचान का सौदा करना व कब्जा भूमि 2—00 बीघा देना तहरीर है। इस प्रकार कब्जा देना साबित करने मे वादीगण असफल रहे। अतः यह तनकी विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती है।

(3) तनकी सं. 3, आया प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बेचान के इकरारनामा की गई भूमि 0.588 है0 मे से 0.506 है0 भूमि का बैयनामा दिनांक 20.04.2004 को वादी के पक्ष में करवा दिया था। —— वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। मुताबिक बैयनामा दिनांक 20.04.2004 सें यह साबित है कि 0.506 है0 भूमि का बैयनामा तहरीर व तस्दीक हुआ है, परन्तु उक्त बैयनामा में शेष रखी 6½ बिस्वा का कोई उल्लेख नहीं है। अतः यह तनकी 2—00 बीघा वादीगण के हक मे निर्णित की जाती हैं। यद्यपि उक्त 2—00 बीघा भूमि मुताबिक बैयनामा आज वादीगण के नाम दर्ज नहीं है।

(4) तनकी सं. 4, आया प्रतिवादीगण सं. 1/1 ता 1/6 के पति/पिता के द्वारा जैरवाद भूमि चक 7 एसजीआर ए प0न0 7/309 के 0.0822 है0 कमाण्ड भूमि का इकरारनामा दिनांक 17.04.2004 को वादीगण के पक्ष में करवा कर कब्जा दे दिया गया था व वादीगण आजतक काबिज काश्त होने से प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त करने सें पाबन्द करवाने की डिकी जारी करवाने का कानूनी हकदार है। ——वादीगण

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था यह तनकी सं. 4 पूर्व मे निर्णित तनकी सं. 2 के समकक्षी व एक दूसरे पर आधारित है। तकनी सं. 2 में कब्जा वादीगण का साबित नहीं होने से तनकी सं. 2 उनके विरुद्ध निर्णित की जा चुकी है। ऐसी अवस्था मे कब्जा नहीं होने की सूरत में

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

क्रमशः

वादीगण प्रतिवादीगण के विरुद्ध कब्जा काश्त करने से पाबन्द करवाने की डिकी जारी करवाने के कानूनी हकदार नहीं है। वादाधीन भूमि 6½ बिस्वा पर वादीगण अपना कोई भी हक साबित नहीं कर पाये है। अतः यह तनकी विरुद्ध वादीगण निर्णित की जाती हैं।

(5) तनकी सं. 5, दावा सिविल किस्म का है। तथा क्षेत्राधिकार का नहीं होने पर खारिज योग्य है।

––प्रतिवादीगण सं. 1/1 ता 1/6

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण सं. 1/1 ता 1/6 पर डाला गया था। अभिभाषक प्रतिवादीगण की दलील से यह अदालत सहमत है कि वादीगण का वाद इकरारनामा पर पूर्णतया निर्भर है। कब्जा देने का इकरारनामा मे कोई उल्लेख नहीं है। ऐसी सूरत में वादीगण वादग्रस्त भूमि के टिनेन्ट नहीं है। टिनेन्ट ना होने की सूरत में हको की घोषणा हेतू दावा दायर नहीं कर सकतें है और ना ही इकरारनामा सें अन्य अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किसी भी धारा के तहत प्राप्त करने के अधिकारी है। धारा 188 आरटीए में भी टिनेन्ट व कब्जा होना दोनो साबित करना आवश्यक है। वादीगण के पास एक मात्र शेष रहता है कि वह इकरानामा के करार की पालना में सिविल न्यायालय मे चाराजोही करे तथा वहां से प्रतिवादीगण के विरुद्ध निषेधाज्ञा प्राप्त करे। जो वादीगण द्वारा आज तक नहीं की गई है और ना ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

यहां यह भी उल्लेख किया जाना आवश्यक हो जाता है कि इकरारनामा दिनांक 17.04.2004 को होता है तथा बैयनामा दिनांक 19.04.2004 को तहरीर व तस्दीक किया जाता है परन्तु विक्रेता शिवलाल के द्वारा सिविल वाद सं. 18/2009 (27/2006) क्रेतागण कृष्णलाल के विरुद्ध दायर किया जिसे वादीगण स्वीकार करते है। उक्त दावा दिनांक 21.09.2011 को निरस्त किया जा चुका है। उक्त निर्णय दिनांक 21.02.2011 में यह भी उल्लेख है कि उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने शिवलाल के पुत्र लालचन्द व राकेश ने धारा 88, 91, 92, 188, 207, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उक्त 6½ बिस्वा हेतू दावा दायर किया था। जो कि दिनांक 19.06.2006 को निरस्त हुआ व उसके विरुद्ध की गई अपील 20.07.2006 को खारिज की है। यह भी वादीगण के द्वारा स्वीकार्य तथ्य है। धारा 92 "ए" राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दावा दायर करने की समय सीमा IIIrd शैडयूल क्रमाक 8 "ए" तीन वर्ष है। यह वाद सन् 2014 मे दायर होता है जबकि विक्रेता शिवलाल व उसके पुत्रगण जो इस दावा में प्रतिवादीगण है की मन्शा व दावाजात प्रकिया से वादकारण पूर्व में उत्पन्न हो चुका है तथा यह दावा समय सीमा सें परे होने से व अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में नहीं होने सें खारिज काबिल है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादीगण खिलाफ वादीगण निर्णित की जाती है।

आदेश

विवादक सं. 1, 2, 4 विरुद्ध वादीगण व विवादक सं. 5 बहक प्रतिवादीगण व विरुद्ध वादीगण निर्णित होने से दावा वादीगण निरस्त किया है। दावा निरस्ती की डिकी जारी कर पत्रावली दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़।

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–::परचा डिक्री::–

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

(बइजलास :–मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.)

–:: अनवान ::–

1.कृष्णलाल
2.बनवारीलाल
3.रामकुमार

पिसरान रामजस जाति बिश्नोई साकिन प्रेमपुरा ढ़ाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

–वादीगण

बनाम

1.शिवलाल पुत्र चुन्नीलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 7 एसजीआर–बी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (मृतक)
1/1 अनकौरी पत्नि शिवलाल
1/2 नाथीदेवी उर्फ लिछमा पुत्री शिवलाल
1/3 बिरखादेवी पुत्री शिवलाल
1/4 लालचन्द पुत्र शिवलाल
1/5 रोशनी पुत्री शिवलाल
1/6 विष्णु उर्फ राकेश कुमार पुत्र शिवलाल
2.तहसीलदार सूरतगढ़
3.उप पंजीयक सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–92ए, 188, 207, 209 आर.टी. एक्ट मुकदमा नं. 60 वर्ष 2014 यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री भागीरथ बिश्नोई व विनोद बिश्नोई तथा वकील प्रतिवादी श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

दावा वादीगण निरस्त किया जाता है।

नोज.....x.....मुबलिग..... x.....बाबत..... x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....x.....फस्दों की पालना..... x.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 25.02.2020 को जारी की गई।

(मनोज कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.03.17 12:48:38 IST
Reason: SelfAttested
Location: